



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर पॉक्सो एक्ट के अभियोग में अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु०अ०सं०- 549/2017 धारा-342,354बी भा०द०सं० व 9ड/10 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रामकुमार खंगार उर्फ छंगा निवासी ग्राम खरेहटा खुर्द, थाना राठ, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एडीजीसी अवधनरेश
चन्देल



विवेचक-
उ०नि० अजीत
कुमार सिंह



पैरोकार
थाना - राठ
का० सर्वज्ञ सिंह